COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

<u>समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर संभाग, भोपाल</u> (113)

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2018/2415 निगरानी प्र.क्र. Entry/214

1. श्रीमती गुल आमिर इफ्तेखार पत्नी श्री आमिर इफ्तेखार
   पुत्री श्री आसिफ नजर,
2. श्री आसिफ नजर आत्मज श्री नजर मोहम्मद
   निवासी– 189, जिंसी चौराहा, जहांगीराबाद,
   भोपाल (म.प्र.) .... आवेदकगण

विरुद्ध

श्री जयराम एजुकेशन सोसायटी
द्वारा कोषाध्यक्ष श्री विजय हरिरमानी
आत्मज श्री श्यामदास, निवासी– ई–1/96,
अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) .... अनावेदक

आज दिनांक 27/3/18 को अभिभाषक श्री राजेश भटी द्वारा भोपाल कैम्प में प्रस्तुत 27/3/18

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959

आवेदकगण न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नजूल वृत्त, गोविंदपुरा, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा जारी आदेश क्र. 405/री.अ.वि.अ.गो/2014 दिनांक 17.06.2014 के परिप्रेक्ष्य में की गई सीमांकन कार्यवाही दिनांक 29.06.2014 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहे हैं।

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम हताईखेड़ा, तहसील गोविंदपुरा, जिला भोपाल स्थित भूमि सर्वे नं. 154/1/3/ख/2, 154/1/5/1/क, 154/1/4/1/2, 154/1/5/1/ख कुल रकबा 11.90 एकड़ भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु तहसीलदार महोदय के प्रकरण क्र. 1/अ–70/17–18 में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नजूल वृत्त, गोविंदपुरा के द्वारा आदेश क्र. 405/री.अ.वि.अ.गो./2014 दिनांक 17.06.2014 जारी किया गया। किन्तु उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में जो सूचना–पत्र जारी किया गया उसमें आवेदकगण को कोई सूचना नहीं दी गई तथा आवेदकगण की अनुपस्थिति में कथित गठित राजस्व निरीक्षकों के दल द्वारा दिनांक 29.06.2014 को कथित सीमांकन किया गया एवं आवेदक सोसायटी की भूमि खसरा क्र. 154/1/5/1/ख एवं 154/1/5/क के भाग 1.16 एकड़ पर आवेदकगण अर्थात् पड़ोसी कृषक श्रीमती गुल आमिर इफ्तेखार एवं श्री आशिक नजर का कब्जा बताया गया। आवेदकगण को कथित सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी गई और ना ही सूचना–पत्र में आवेदकगण का कहीं नाम अभिलिखित है। आवेदिका क्र. 1 श्रीमती गुल आमिर के स्वत्व की भूमि खसरा क्र. 146/1/1/5ख रकबा 6.59 एकड़ की स्वामी एवं आधिपत्यधारी है तथा भूमि खसरा क्र. 146/1/1/5क रकबा 0.25 एकड़ आवेदक क्र. 2 की भूमि है तथा उक्त भूमि के उपरान्त अन्य भूमि होकर नाला स्थित है। दिनांक 29.06.2014 को सीमांकन दल द्वारा आवेदकगण की उपस्थिति में कोई सीमांकन नहीं

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू-रा./2018/2415 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी नजूल गोविन्दपुरा वृत्त जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी नजूल गोविन्दपुरा वृत्त न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 22-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	